उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

08 जून, 2022 ई0

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022

सं. F-9/14(i)/RG/UERC/2022/340 – उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अधिनियम (2003 का 36) की धारा 86 उप-धारा (1) के खंड (h) के साथ पठित धारा 181 के खंड (zp) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 (मुख्य विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन:

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये विनियम इनके गज़ट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 6.2 का संशोधन:

मुख्य विनियम के विनियम 6.2 के उप-विनियम (22) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"राज्य के सभी घटकों द्वारा सभी संभावित प्रयास करके यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित प्रचालक रैंज के भीतर बनी रहे:"

वोल्टेज -- (kV rms)		
नामिक	अधिकतम	न्यूनतम
765	800	728
400	420	380
220	245	198
132	145	122
66	72	60
33	36	30

3. मुख्य विनियम के विनियम 7.5 का संशोधनः

(1) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (3) में "10 बजे पूर्वाह्न" शब्दों के स्थान पर, "6 बजे पूर्वाह्न" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (4) में "11 बजे पूर्वाह्न" शब्दों के स्थान पर, "8 बजे पूर्वाह्न" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (17) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"किसी इकाई के बलपूर्वक आउटेज" के मामले में, राज्य भार पारेषण केंद्र संशोधित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को संशोधित करेगा। संशोधित घोषित क्षमता और संशोधित अनुसूचियाँ, ऑड टाइम ब्लॉकों में किए गए किसी संशोधन हेतु सातवें टाइम ब्लॉक से और ईवन टाइम ब्लॉकों में किए गए किसी संशोधन हेतु आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन द्वारा संशोधन सुझाया गया है।

नोटः इस उप-विनियम मे उल्लेखित ऑड टाइम ब्लॉक 00:00 से 00:15, 00:30 से 00:45, 01:00 से 01:15 और इससे आगे है । इस उप-विनियम मे उल्लेखित ईवन टाइम ब्लॉक 00:15 से 00:30, 00:45 से 01:00, 01:15 से 01:30 और इससे आगे है ।

उदाहरण:

यदि दिवस डी के टाइम ब्लॉक 17.00 से 17.15 (ऑड टाइम ब्लॉक) में अनुसूची या घोषित क्षमता में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है, तो यह दिवस डी के टाइम ब्लॉक 18.30 से 18.45 (जिस टाइम ब्लॉक मे संशोधन हेतु निवेदन किया गया है उससे सातवाँ टाइम ब्लॉक) से प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि दिवस डी के टाइम ब्लॉक 17.15 से 17.30 (ईवन टाइम ब्लॉक) में अनुसूची या घोषित क्षमता में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है तो यह दिवस डी के टाइम ब्लॉक 19.00 से 19.15 (जिस टाइम ब्लॉक मे संशोधन हेतु निवेदन किया गया है उससे आठवाँ टाइम ब्लॉक) से प्रभावी होगा।"

(4) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 का उप-विनियम (18) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"यदि राज्य पारेषण कंपनी अथवा राज्यान्तर्गत पारेषण में संलग्न अन्य पारेषण लाइसेंसधारी (जो राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा प्रमाणित हो) के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली, सम्बद्ध स्विचयार्ड और सब-स्टेशनों में किसी बाध्यता, आउटेज, विफलता या सीमितता के कारण होने वाली ऊर्जा की निकासी में रुकावट होने से उत्पादन में कमी करना आवश्यक हो जाए तो राज्य भार पारेषण केंद्र अनुसूचियों में संशोधन करेगा जो कि ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होगा, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें ऊर्जा की निकासी में रुकावट हुई है। साथ ही, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे/सातवें टाइम ब्लॉक के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन के अनुसूचित उत्पादन को संशोधित कर वास्तविक उत्पादन के बराबर कर दिया जाएगा और लाभार्थियों की अनुसूचित निकासी को संशोधित कर उनकी वास्तविक निकासी के बराबर कर दिया जाएगा।"

(5) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (20) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"दिन की शेष अवधि हेतु राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन जिसका द्वि-भागीय शुल्क, क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के साथ है द्वारा घोषित क्षमता और लाभार्थी (यों) द्वारा की गयी मांग के संशोधन की अनुमति भी मान्य है जो कि अग्रिम नोटिस दिए जाने पर प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में संशोधित अनुसूचियाँ/घोषित क्षमता ऑड

टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें संशोधन हेतु निवेदन राज्य भार पारेषण केंद्र में प्राप्त हुआ होगा ।"

(6) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (21) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इस विनियम के उप-विनियम (20) में समाहित किसी बात के होते हुए भी, दीर्घावधि और मध्यावधि संविदाओं वाले ऐसे स्टेशनों जिनका द्विभागीय शुल्क, क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार पर आधारित है की किसी यूनिट के बलपूर्वक आउटेज होने की स्थिति मे राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा अनुसूची में संशोधन उसकी संशोधित घोषित क्षमता के आधार पर किया जाएगा। संशोधित घोषित क्षमता और संशोधित अनुसूचियाँ ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें संशोधन की सलाह राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन द्वारा प्रदान की गई है ।"

(7) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (22) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इस विनियम के उप-विनियम (20) में समाहित किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थिति मे जनरेटिंग स्टेशन (जिसकी 30 MW से अधिक उत्पादक क्षमता हो) जो लघु अवधि द्विपक्षीय लेन-देन (ऊर्जा विनिमय के माध्यम से समूहिक लेन-देन को छोड़ कर) से ऊर्जा विक्रय कर रहा हो, की इकाई के बलपूर्वक आउटेज होने पर, उत्पादक या विद्युत व्यापारी या कोई अन्य एजेन्सी जो उत्पादक स्टेशन की इकाई से विद्युत का विक्रय कर रही हो वह इकाई की आउटेज के साथ अनुसूची के संशोधन की मांग और इकाई की बहाली के अनुमानित समय की सूचना तुरंत राज्य भार पारेषण केंद्र को प्रदान करेंगे। इस इकाई के लाभार्थियों व इस से ऊर्जा का क्रय और विक्रय कर रहे व्यक्तियों की अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। संशोधित अनुसूचियाँ ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगी, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें बलपूर्वक आउटेज घोषित की गयी है। राज्य भार पारेषण केंद्र क्रेता

और विक्रेता को संशोधित अनुसूची की सूचना प्रदान करेगा। मूल अनुसूची इकाई की बहाली के अनुमानित समय से प्रभावी होगी। तथापि, पारेषण प्रभार का भुगतान दो दिन तक मूल अनुसूची के अनुसार किया जाता रहेगा।

परंतु किसी यूनिट की बलपूर्वक आउटेज के पश्चात क्रेता और विक्रेता की अनुसूची में संशोधन केवल तभी किया जाएगा जब किसी लेन-देन विशेष हेतु ऊर्जा के स्रोत को लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदन के दौरान इंगित किया गया हो तथा उस उत्पादक स्टेशन की उक्त इकाई बलपूर्वक आउटेज के अधीन होजाती है"

(8) *मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (24) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:*

"यदि किसी समय राज्य भार पारेषण केंद्र को यह लगता है कि प्रणाली के बेहतर प्रचालन हेतु अनुसूचियों में संशोधन की आवश्यकता है तो वह स्वयं ही ऐसा कर सकता है और ऐसी स्थिति में संशोधित अनुसूचियाँ ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगी, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा संशोधित अनुसूची जारी की गयी है ।"

(9) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (27)(c) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"वायु और सौर ऊर्जा उत्पादक (समूहिक लेन-देन को छोड़ कर) जो राज्य के घटक हैं, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा अनुसूचियों में संशोधन *राज्य भार पारेषण केंद्र* को अग्रिम नोटिस दे कर किया जा सकेगा। ऐसे संशोधन *ऑड* टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें नोटिस दिया गया था। डेढ़ घंटे के एक टाइम स्लॉट में एक संशोधन किया जा सकेगा। टाइम स्लॉट किसी विशेष दिन में 00.00 बजे से आरंभ होगा और अधिकतम 16 संशोधन दिन भर के दौरान किए जा सकेंगे।"

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग।